HUMAN RIGHTS AT SEA

समुद्र में दुर्व्यवहार को चुनौती

श्रमिकों के लिए श्रमिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पूर्ण विश्व में लागू होना चाहिए।

श्रमिक के रूप में श्रमिक अधिकार आप पर लागू होते हैं। ये अधिकार, जहाँ आप कार्य करते हैं उस कार्यस्थल और वहाँ की परिस्थिति पर जोर देते हैं।

1919 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कई आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का विकास कर रहा है।

इन मानकों का उद्देश्य आपके लिंग भेद से परे कार्य की उचित स्थितियों, जैसे समानता, सुरक्षा और गरिमा को स्थापित करना है।

वर्ष 1948 में, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई।

इस संस्थापक दस्तावेज में कई श्रम अधिकार शामिल हैं जो मानव अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त और संरक्षित हैं

इस घोषणा में कई अलग-अलग श्रमिक अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है, इनमें शामिल हैं:

- आपके द्वारा चुनी गई नौकरी मे कार्य करने का आपका अधिकार,
- समान वेतन के लिए कार्य करना,
- आराम तथा फ़ुरसत का उचित समय-घंटे, साथ ही कार्य का तर्क संगत समय-घंटे।

हालाँकि, श्रमिक अधिकारों को श्रमिक के रूप में आपके द्वारा सक्रिय किया जाता है। यह अधिकार एक श्रमिक के रूप में आप पर लागू होते हैं, आपके नियोक्ता पर नहीं।

कुछ श्रम अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा संरक्षित हैं। यह अधिकार नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों का हनन होने से बचाते हैं।

अधिकांश देश मूल श्रम मानकों का सम्मान और बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए। इन मानकों में चार मौलिक अधिकार शामिल हैं:

बेगारी-जबरिया मज़दूरी से मुक्ति,

बाल श्रम से मुक्ति,

कार्य स्थल पर भेदभाव से मुक्ति

संघ-यूनियन बनाने और उसमें शामिल होने की स्वतंतता

2006 के मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन ने उचित कार्यस्थल परिस्थितियों के बारे में जहाजी के अधिकारों पर प्रकाश डाला। कन्वेंशन उन देशों और जहाज मालिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद करता है, जो घटिया परिस्थितियों में कार्य कर रहे जहाजों की वजह से कमज़ोर पड़ गए हैं।

2017 में जहाज-मालिकों को मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन के तहत नए नियमों की पलना करनी चाहिए।

उनके पास नाविकों के परित्याग, मृत्यु या दीर्घकालिक विकलांगता के दावे की लागत को पूरा करने के लिए बीमा होना चाहिए।

वर्ष 2007 में, ILO ने मछली पकड़ने के उद्योग में बदलाव पेश किए। मछुआरों को आमतौर पर जहाजी माना जाता है।

इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मछुआरों को मछली पकड़ने के जहाजों पर कार्य करने की अच्छी स्थिति मिले और उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को रोका जा सके।

मछली पकड़ने के जहाजों को उपयुक्त कार्यस्थल परिस्थितियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
किसी भी वाणिज्यिक मछली पकड़ने के जहाज पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ILO 188 नामक वर्क इन फिशिंग कन्वेंशन द्वारा संरक्षण प्राप्त होगा

"श्रम अधिकार मानव अधिकार हैं, और कार्यस्थल पर इन अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता श्रमिकों के लिए एक पूर्वापेक्षा है कि वे अन्य अधिकारों चाहे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य अधिकारों की एक व्यापक श्रृंखला का लाभ लें।"

Maina Kiai - शांतिपूर्ण सभा तथा संघ बनाने की आजादी, 2016 के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक

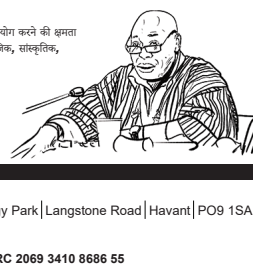

Human Rights at Sea | Langstone Technology Park | Langstone Road | Havant | PO9 1SA
enquires@humanrightsatsea.org
www.humanrightsatsea.org
www.justgiving.com/hras/donate **GB19 BARC 2069 3410 8686 55**
www.facebook.com/humanrightsatsea/
@hratsea
https://www.linkedin.com/company/human-rights-at-sea

Supported by University of BRISTOL

Designed by Marlins